-:नियमावली:-

1. संस्था का नाम : स्व0 राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेण्टर कानपुर।

2. संस्था का पता : 94/4 ब्लाक नं0 10 गोविन्द नगर, कानपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4. संस्थां के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होगे।

5. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग

(अ) **आजीवन सदस्यता** – जो संस्था को एक बार में एक मुश्त 3001 या इससे अधिक मूल्य की चल–अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने पर उसे आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) संस्था को प्रतिवर्ष 51/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को सदस्य बनाया जायेगा।

संस्थापिका (स) संस्था की स्थापना करने वाली श्रीमती मिथलेश मिश्रा पत्नी श्री पी0के0 मिश्रा प्रबन्ध समिति में अनिवार्य रूप से बनी रहेगी तथा समय–समय पर समिति की प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करेगी।

6. सदस्यता की समाप्ति : मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा न करने पर, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता स्वतः हीं समाप्त हो जायेगी।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग है–

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धककारिणी सदस्य

(स) **साधारण सभा** :–

1 गठन :– संस्था के आजीवन संस्थापक, साधारण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

2 बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होगीं तथा विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक द्वारा बुलायी जायेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/वरि0 सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

3 गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा । कोरम के अभाव में बैठके स्थगित हो जायेगी। स्थगित बैठके पुनः बुलायीं जायेगी तथा बैठ के एजेण्डा के निर्णय पूर्व की तरह होगे।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी का विधिवत चुनाव कराना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बजट पास करना।
3. प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत नियमों में संशोधन, परिवर्तन परिवर्धन की बहुमत द्वारा स्वीकृति प्रदान करना।
4. संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक सुझाव एवं सूचनायें प्रबन्धक कारिणी समिति को देना।

ब. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठक सूचना एवं कोरम -

अ. प्रबन्धक कारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित सदस्य सं0-7 होगी जिनमें निम्न प्रकार के पदाधिकारी होगें।

1. अध्यक्ष	- एक
2. उपाध्यक्ष	- एक
3. प्रबन्धक	- एक
4. कोषाध्यक्ष	- एक
5. सदस्य	- तीन
योग	- सात

ब. प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठके कम से कम तीन होगी इसकी सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे पूर्व की नोटिस पर बैठक बुलायी जा सकती है।

स. बैठक की कोरम 2/3 सदस्यों का होगा

द. कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/वरि0 सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट
कानपुर

10 प्रबन्धक को विद्यालय कोष में से खर्च करने का पूरा अधिकार होगा। उसके लिये समिति से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रबन्धक को समिति भंग करने का पूरा अधिकार होगा। जिसमें समिति के किसी भी सदस्य का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।

12. प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह अपने स्थान पर नये प्रबन्धक की नियुक्ति करे।

विशेष नियम :--

स्व0 राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेण्टर कानपुर के विशेष नियम :-

1. समस्त चल अचल सम्पत्ति समिति के अधीन होगी तथा उसके व्यय तथा बृद्धि का अधिकार प्रबन्धक का होगा।

2. संस्था के प्रबन्धक श्री पद्मकान्त मिश्र ही भविष्य में प्रबन्धक के स्थान पर दूसरा प्रबन्धक मनोनीत करेगें। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्धक का अधिकार होगा कि वह समिति को भंग कर दे और समिति के समस्त अधिकारों को अपने हाथ में ले ले। तत्पश्चात पुनः स्वेच्छमयी समिति का गठन करे।

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

1. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार साधारण बैठक में संस्थापक/प्रबन्धक की संस्तुति से परामर्श किये जायेगे।

2. संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

उद्‌दश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों , मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि से दान अनुदान, चन्दा, ऋण, चल-अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी। सदस्यों से सदस्यता शुल्क चन्दा आदि लेगीं।

3. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट -

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट प्रति वर्ष सत्र समाप्त पर किसी योग्य व्यक्ति अथवा आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा। सत्य--प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / वरि0 सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

MANAGER/
SECRETARY
RADHA KRISHNA MEMORIAL EDUCATION CENTRE * KANPUR *

4. संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

5. **संस्था के अभिलेख** – सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर आदि समस्त अभिलेख कार्यालय में ही रहेंगे।

6. विघटन – संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही समस्त प्रकार के लेन–देन अदायगी करने के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि 28-4-05

हस्ताक्षर

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/वरि० सहायक
...र्स, सोसाइटीज तथा चिट...
कानपुर